By Speed Post

No. 14/3/2006-SR(S) Vol.-V
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions,
(Department of Personnel and Training)

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated 15th December, 2014

15 DEC 2014

Order

Subject: Revision/Correction of allocation of Shri Mohan Sharan Khare, Assistant Engineer, D/o Public Health Engineering from Chhattisgarh to Madhya Pradesh – regarding.

The representation of Shri Mohan Sharan Khare, Assistant Engineer, D/o Public Health Engineering for revision of allocation from Chhattisgarh to Madhya Pradesh was considered in meeting of the Advisory Committee held on 29.10.2014 at Madhyanchal Bhawan, New Delhi, in which Shri Khare has contended that his wife Smt. Rashmi Khare is working as Assistant Grade-II in office of Sahayak Bhu Jalwid, Bhind, M.P. He has also contended that he was receiving the pay scale of Rs.6500-9100/- but was allocated to Chhattisgarh in pay scale of Rs.8000-13500/- which was wrong.

2. The matter was considered by the Committee taking into account of the comments of Administrative Department (copy enclosed) of Shri Khare and observed/recommended as under:

"In compliance of directions dated 04.05.2012 of Hon'ble High Court of M.P., bench at Gwalior, the representation of Shri Khare was considered by the Committee. Shri Khare has contended that his wife Smt. Rashmi Khare is working as Assistant Grade-II in office of Sahayak Bhu Jalwid, Bhind, M.P. He has also contended that he was receiving the pay scale of Rs.6500-9100/- but was allocated to Chhattisgarh in pay scale of Rs.8000-13500/- which was wrong.

The Administrative Department informed that his wife namely Smt. Rashmi Khare has taken Voluntary Retirement.

The Committee observed that the Hon'ble High Court in its order dated 04.05.2012 directed that the matter be remitted to Union of India for consideration of allocation of Shri Khare on merit and taking into account the order dated 24.09.2009 passed by the State of M.P., granting retrospective proforma promotion to the petitioner/respondent herein from the cadre of Sub-Engineer to Assistant Engineer w.e.f. 04.12.1989.

Contd.....2/

The Administrative Department informed that in compliance of above directions of the Court, the proforma promotion of Shri Khare from the cadre of Sub-Engineer to Assistant Engineer was considered and his seniority has been fixed below Shri T.C. Panchal, Assistant Engineer (Sr.No. 10) and above Shri H.N. Vaidya, Assistant Engineer (Sr.No. 11). They further clarified that his juniors namely Shri H.N. Vaidya, Shri R.B. Rai, Shri D.K. Bhavsar, Shri A.R. Pawar, Shri S.H. Khan, Shri Rajesh Joshi and Shri Sudhir Deshmukh were allocated to M.P. as per their option in General category.

In the light of above facts, the Committee recommended allocation of Shri Mohan Sharan Khare, Assistant Engineer to Madhya Pradesh and deletion of his name from allocation order of Sub-Engineers. Fresh allocation order would be issued accordingly by the Central Government after obtaining approval of the competent authority".

3. The above recommendation of the Committee has been accepted by the Central Government considering that the allocation of Shri Mohan Sharan Khare was made to Chhattisgarh on the basis of his seniority as "Sub-Engineer" under A-4 category. Now that he has been given promotion as "Assistant Engineer" from retrospective effect i.e. w.e.f. 04.12.1989, the Central Government hereby orders to finally allocate Shri Mohan Sharan Khare to Madhya Pradesh in the cadre of "Assistant Engineer". Accordingly, the name of Shri Mohan Sharan Khare may be deleted from the Final Allocation List of "Sub-Engineers".

Yours faithfully,

Encls.: As above.

(A.K. Malhotra)
Under Secretary to the Government of India
Phone: 011-24651898

Copy to for necessary action: -

1. The Principal Secretary, Department of Public Health Engineering, Government of Madhya Pradesh, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal, Madhya Pradesh-462004.
2. The Principal Secretary, Department of Public Health Engineering, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, Chhattisgarh-492002.
3. The Principal Secretary, General Administration Department, Govt. of Madhya Pradesh, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal, Madhya Pradesh-462004.
4. The Secretary, General Administration Department, Govt. of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, Chhattisgarh-492002.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Dept. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
15 DEC 2014
जारी किया/ISSUED

स्थानीक. 31

बिन्दु कमांक–5

प्रारूप – (ए)

आवंटन के विरूद्ध कर्मचारी के अभ्यावेदन पर विभागीय टीप

1. अभ्यावेदन क.(Grievance No)
2. कर्मचारी का नाम – मोहन शरण खरे
3. पद नाम – उपयंत्री
4. वेतनमान – 8000–13500
5. विभाग – लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
6. विभागाध्यक्ष – प्रमुख अभियंता
7. वर्ग – सामान्य/अजा./अजजा/अपिव – सामान्य
8. राज्य प्राथमिकता – मध्यप्रदेश
9. वर्तमान आवंटन – छत्तीसगढ

क	अभ्यावेदन में उठाये गये प्रमुख मुददे	क.	मुददे पर विभागीय टीप
1.	उत्तवर्ती राज्यों के मध्य कर्मचारियों के विभाजन के निर्धारित नियमानुसार दिनांक 23.9.2000 के पूर्व जारी/ प्रभावशाली कमोन्नति वेतनमान आदेशों को आवंटन का आधार माना जाना निर्धारित है	1.	मान्य है ।
2	प्रार्थी को कमोन्नति वेतनमान में कनिष्ठ मान्य करते हुये प्रार्थी की सेवाए का आवंटन मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ राज्य में प्राथमिक रूप से किया गया । राज्य विभाजन के दिनांक 31.10.2000 को प्रार्थी का वेतनमान 6500–200–10500 के वेतनमान में कार्यरत था तथा इस वेतनमान में मुझे 8100/मूलवेतन प्राप्त हो रहा था इस वेतनमान के संवर्ग में वरिष्ठतम उपयंत्री था न कि कनिष्ठ उपयंत्री । मुझे विभाग ने 8000–13500 के संवर्ग में कनिष्ठतम उपयंत्री मानकर छत्तीसगढ आवंटन कर दिया गया था । इसकी प्रविष्टी सेवापुस्तिका के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि विभाजन के समय किस संवर्ग में कार्यरत था । इस प्रकार मेरा मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ को किया गया आवंटन निर्धारित नियमों के विपरित होने से निरस्त किया जाना योग्य है ।	2	श्री एम.एस.खरे का नियुक्ति दिनांक 27.3. 1980 है । अतः दिनांक 23.9.2000 को वे 8000–13500 क संवर्ग मे कनिष्ठतम उपयंत्री थे । श्री खरे का वरिष्ठता कमांक 1.4.2000 की स्थिति में 787, अनंतिम आवंटन सूची में कमांक 680 एवं अंतिम आवंटन सूची में 629 पर छत्तीसगढ राज्य आवंटित है । दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न है ।

3	प्रार्थी की पत्नी श्रीमति रश्मि खरे सहायक ग्रेड–2 के पद पर कार्यालय सहायक भूजलविद मध्यप्रदेश में कार्यरत है (राज्य पुर्नगठन प्रकोष्ट) के ज्ञापन कमांक एफ–2000/4 (2) रा य प्र दिनांक 3.10.2000 जो राजपत्रित दिनांक 6.10.2000 में प्रकाशित है, कि बिन्दु (27) में यह प्रावधान किया है, कि यदि पति/पत्नी मध्यप्रदेश शासन की सेवा में है एवं उनमें से एक का संवर्ग राज्य स्तरीय सेवा का नही है, तो विकल्प के लिये दूसरे राज्य को उनकी सेवाए आवंटित न की जावे प्रार्थी की पत्नी नॉन स्टेट संवर्ग की कर्मचारी है नॉन स्टेट केडर संवर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठतम कम सूची राज्य स्तरीय नही होती है । प्रार्थी की पत्नी का आवंटन छत्तीसगढ किया जाना है तो वरिष्ठता प्रतिकुल रूप से प्रभावित होगी जो न्यायोचित नही है ।	3	मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24.3.2008 में पति /पत्नी (Spouse) एक राज्य में रह सके इस उद्देश्य से यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी आवेदन पत्र देता है तो उसके आवेदन पत्र पर विचार किया जाये,चाहे उनमें से एक राज्य शासन/केन्द्र शासन के किसी पद पर पदस्थ/नियुक्ति हो अथवा राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन के अधीन किसी उपकम (आयोग,बोर्ड,मण्डल आदि) में पदस्थ/नियुक्त हो । इस संबंध में प्राप्त आवेदनों पर विचारोपरान्त, दोनों राज्यों के संबंधित प्रशासकीय विभाग की सहमति के उपरान्त आवेदक पति/पत्नी, अधिकारी/कर्मचारी को उस राज्य (मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़) जहां पति/ पत्नी कार्यरत हैं स्थानांतरण किया जा सकेगा। (परिपत्र की छायाप्रति संलग्न है)
4	प्रार्थी की पत्नी अस्थमा (दमा) की गंभीर बीमारी से पीडित है । छत्तीसगढ राज्य उडीसा लगा हुआ होने के कारण जलवायु दमा रोगियों के माफिक नही है । जो हृदय रोग का एक कारण है, मैने 24 वर्षो से विभाग की सेवा पूर्ण निष्ठा से की है, अतः मुझे मध्यप्रदेश राज्य में रखा जाना न्यायोचित है ।		मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 मार्च 2007 के बिन्दु कमांक 18 में उल्लेख है कि स्वयं या परिवार के आश्रित सदस्यों के गंभीर किस्म की बीमारी के कारण दिये गये अभ्यावेदनों पर समिति द्वारा विचार किया जाकर परिस्थिति अनुसार निर्णय लिया जायेगा । ऐसा कोई अभ्यावेदन स्वीकार किये जाने की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति की सेवायें आवंटित नही की जावेगी ।

अनुशंसा – निर्णय समिति द्वारा लिया जाना है ।

स्वीकृत ☐
अस्वीकृत ☐

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष

हस्ताक्षर विभागीय सचिव

(अश्विनी कुमार राय)
प्रमुख सचिव, लो.स्वा.यां.वि.

समिति का निर्णय